



icmr
INDIAN COUNCIL OF
MEDICAL RESEARCH
Serving the nation since 1911

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

Indian Council of Medical Research
Department of Health Research, Ministry of Health
and Family Welfare, Government of India

संख्या: 16/29/2023/प्रशा./ e-157401

Dated: /03/2026

कार्यालय ज्ञापन/OFFICE MEMORANDUM

विषय: गैर-आईसीएमआर वित्तपोषित चालू परियोजनाओं में परियोजना स्टाफ की तैनाती हेतु एजेंसी सेवा शुल्क एवं जीएसटी के भुगतान के प्रावधान के संबंध में।

यह सूचित किया जाता है कि विभिन्न संस्थानों/केन्द्रों से ऐसे संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें गैर-आईसीएमआर वित्तपोषित परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यरत परियोजना स्टाफ की तैनाती हेतु एजेंसी सेवा शुल्क एवं लागू जीएसटी के भुगतान में कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है, क्योंकि मूल रूप से स्वीकृत परियोजना बजट में इन प्रावधानों को शामिल नहीं किया गया था।

यह देखा गया है कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से परियोजना स्टाफ की तैनाती परिषद द्वारा दिनांक 21.06.2024 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार लागू की गई है। तथापि, अनेक मामलों में गैर-आईसीएमआर वित्तपोषित चालू परियोजनाओं के स्वीकृत बजट में एजेंसी सेवा शुल्क एवं जीएसटी के भुगतान का प्रावधान उपलब्ध नहीं है।

परियोजनाओं के वर्तमान चरण में संबंधित वित्तपोषण एजेंसियों से अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने में व्यावहारिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने यह अनुमोदन प्रदान किया है कि, केवल चालू गैर-आईसीएमआर वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए एक बार की व्यवस्था के रूप में, एजेंसी सेवा शुल्क एवं जीएसटी पर होने वाला व्यय संबंधित परियोजनाओं के ओवरहेड एवं आकस्मिकता मद के अंतर्गत उपलब्ध शेष राशि से, निधियों की उपलब्धता तथा प्रचलित वित्तीय नियमों के अनुपालन के अधीन, वहन किया जा सकता है। यह व्यवस्था केवल उन्हीं चालू परियोजनाओं पर लागू होगी, जिनके स्वीकृत परियोजना बजट में ऐसे प्रावधान उपलब्ध नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त, सभी आईसीएमआर संस्थानों/केन्द्रों से अनुरोध किया जाता है कि भविष्य में गैर-आईसीएमआर वित्तपोषण एजेंसियों को प्रस्तुत की जाने वाली सभी परियोजना प्रस्तावों के बजट में एजेंसी सेवा शुल्क एवं जीएसटी का प्रावधान अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।

यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

Subject: Provision for payment of Agency Service Charges and GST for deployment of project staff in ongoing Non-ICMR funded projects – reg.

It is intimated that references are being received from various Institutes/Centres regarding difficulties in meeting expenditure towards Agency Service Charges and applicable GST for deployment of project staff engaged under Non-ICMR funded projects, where such provisions were not included in the originally approved project budgets.

It has been observed that deployment of project staff through outsourcing agencies has been implemented as per Council's directions issued vide O.M. dated 21.06.2024. However, in many cases, the approved budgets of ongoing Non-ICMR funded projects do not contain provisions for payment of agency service charges and GST.

In view of the practical difficulty in obtaining additional funds from the respective funding agencies at this stage of the projects, the Competent Authority has approved that, as a **one-time arrangement for ongoing Non-ICMR funded projects only**, the expenditure towards Agency Service Charges and GST may be met from the available balance under the **Overhead & Contingency head** of the concerned projects, subject to availability of funds and adherence to extant financial rules.

This arrangement shall be applicable only to ongoing projects where no such provision exists in the approved project budget.

Further, all ICMR Institutes/Centres are requested to ensure that provision for Agency Service Charges and GST is invariably included in the budget of all future project proposals submitted to Non-ICMR funding agencies.

This issues with the approval of the Competent Authority.

(जयबीर सिंह)
सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

प्रति
आईसीएमआर के सभी संस्थानों/केन्द्रों के निदेशक/प्रभारी निदेशक

प्रतिलिपि:

1. महानिदेशक/अतिरिक्त महानिदेशक/वरिष्ठ उप महानिदेशक (प्रशा.)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार, आईसीएमआर मुख्यालय, नई दिल्ली के निजी सचिव।
2. सभी प्रभागों के प्रमुख, आईसीएमआर मुख्यालय।
3. उप महानिदेशक (प्रशा.)/सहायक महानिदेशक/लेखा अधिकारी (प्रशा.), आईसीएमआर मुख्यालय, नई दिल्ली।
4. वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी (इंट्राम्यूरल एवं एक्स्ट्राम्यूरल)।
5. डॉ. एम. एस. चालगा, वैज्ञानिक-डी को अनुरोध है कि इसे आईसीएमआर वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।